उत्तर प्रदेश शासन

महिला कल्याण अनुभाग-3

संख्या-22/2015/1379/60-3-15-3(21)/97

लखनऊ: दिनांक 21 जुलाई, 2015

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग अधिनियम 2004 (यथा संशोधित) की धारा-3 की उपधारा-2(क) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये श्री राज्यपाल डा0 रोली मिश्रा, आहाता, भन्नामल, गॉधी मार्केट, जनपद-एटा को उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग में सदस्य के रूप में नाम निर्दिष्ट करते हैं, जो पद ग्रहण करने की तिथि से एक वर्ष की अवधि के लिये अथवा राज्य सरकार के प्रसाद पर्यन्त पद धारण करेंगे।

रेणुका कुमार

प्रमुख सचिव।

संख्या-1379/60-3-15-3(21)/97, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. मा0 अध्यक्ष/उपाध्यक्ष उ0प्र0 राज्य महिला आयोग।
2. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी।
3. निजी सचिव, समस्त मंत्रीगण।
4. प्रमुख स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव।
5. सदस्य सचिव, राष्ट्रीय महिला आयोग,4, दीन दयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली।
6 सचिव, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, शासत्री भवन, नई दिल्ली।
7 निदेशक, महिला कल्याण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
8 निदेशक, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, महिला कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ।

9 सदस्य सचिव, उ0प्र0 राज्य महिला आयोग, गोमती नगर, लखनऊ।

10 प्रमुख सचिव, गृह/गोपन विभाग।

11 प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 महिला कल्याण निगम, गोमतीनगर, लखनऊ।

12 निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, निकट श्यामा प्रसाद मुखर्जी अस्पताल, लखनऊ।

13 सचिव, उ0प्र0 समाज कल्याण बोर्ड, कैसरबाग, लखनऊ।

14 सदस्य सचिव, उत्तर प्रदेश नियंत्रण बोर्ड, मोती महल, लखनऊ।

15 संबंधित जिलाधिकारी को इस अनुरोध के साथ कि वे कृपया मा0 सदस्य को अपने स्तर से भी अवगत कराने का कष्ट करें।

16 संबंधित नामित सदस्यगण।

17 महिला एवं बाल विकास सचिव शाखा के समस्त अधिकारी/अनुभाग।

18 गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(नन्दलाल प्रसाद)
उप सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन

महिला कल्याण अनुभाग-3

संख्या-1378/60-3-15-3(21)/97

लखनऊ: दिनांक 21 जुलाई, 2015

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग अधिनियम 2004 (यथा संशोधित) की धारा-3 की उपधारा-2(क) के अधीन प्रदत्त शकितयों का प्रयोग करते हुये श्री राज्यपाल अधिसूचना संख्या-मु0मं0193/60-3-14-3(21)/97टीसी दिनांक 24.07.2014, एवं संख्या-मुं0मं0-1302/60-3-14-3(21)/97 टीसी दिनांक 10.12.2014 द्वारा उ0प्र0 राज्य महिला आयोग में नाम निर्दिष्ट निम्नलिखित सदस्यों को उनके कार्यकाल समाप्ति की तिथि से आगामी एक वर्ष की अवधि के लिये अथवा राज्य सरकार के प्रसाद पर्यन्त तक उ0प्र0 राज्य महिला आयोग का सदस्य नामित करते हैं:-

क्र0सं0	नाम/पता
1	श्रीमती सुमन सिंह, सी0एम0 एस0 स्कूल के पीछे, पिकौरा दत्तू राये, गॉधीनगर, बस्ती।
2	श्रीमती माला द्विवेदी, मालापुरम कालोनी, हरदोर्द रोड, लखनऊ।
3	श्रीमती राजेश कुमारी यादव, बी-32, मानसरोवर कालोनी, मुरादाबाद।
4	श्रीमती सुमन दिवाकर, 7 ए, राजा का बाग, मैनपुरी।
5	श्रीमती असमा सिददीकी, मं0नं0-159, मोहल्ला करीमगंज (कलाम कैंटीन के पास) ठाकुरगंज, लखनऊ।
6	श्रीमती शीला चतुर्वेदी।
7	सुश्री नफीसा बानों, 256 ए, मुराइन टोला, निकट-प्राइमरी पाठशाला, जनपद-फतेहपुर।
8	श्रीमती रूकईया बानों, पत्नी-स्वर्गीय जुबेर अहमद, म0नं0-203क/334 नवी उल्ला रोड, निकट-सिटी स्टेशन, जनपद-लखनऊ।

रेणुका कुमार

प्रमुख सचिव।

संख्या-1378(1)/60-3-15-3(21)/97, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. मा0, अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, उ0प्र0 राज्य महिला आयोग।
2. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी।
3. निजी सचिव, समस्त मंत्रीगण।
4. प्रमुख स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव।
5. सदस्य सचिव, राष्ट्रीय महिला आयोग,4, दीन दयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली।
6 सचिव, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।
7 निदेशक, महिला कल्याण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
8 निदेशक, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, महिला कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ।
9 सदस्य सचिव, उ0प्र0 राज्य महिला आयोग, गोमती नगर, लखनऊ।
10 प्रमुख सचिव, गृह/गोपन विभाग।
11 प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 महिला कल्याण निगम, गोमतीनगर, लखनऊ।
12 निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, निकट श्यामा प्रसाद मुखर्जी अस्पताल, लखनऊ।
13 सचिव, उ0प्र0 समाज कल्याण बोर्ड, कैसरबाग, लखनऊ।
14 सदस्य सचिव, उत्तर प्रदेश नियंत्रण बोर्ड, मोती महल, लखनऊ।
15 संबंधित जिलाधिकारी को इस अनुरोध के साथ कि वे कृपया मा0 सदस्य को अपने स्तर से भी अवगत कराने का कष्ट करें।
16 संबंधित नामित सदस्यगण।
17 महिला एवं बाल विकास सचिव शाखा के समस्त अधिकारी/अनुभाग।
18 गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(नन्दलाल प्रसाद)

उप सचिव।